न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री लक्ष्मीनारायण मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक/वि.अ./22/2020/नागौर (2020/00022)

विभागीय अपील द्वारा श्री श्रवण लाल तत्कालीन पटवारी तरनाऊ तहसील जायल हाल पटवारी बिरलोका तहसील खींवसर जिला नागौर विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर नागौर क्रमांक प.9( )भू.अ./वि.जां./2015/948 दिनांक 1–2–2019 जिसके द्वारा अपचारी पटवारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत दो वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव (CUMULATIVE EFFECT) से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्री श्रवण लाल तत्कालीन पटवारी तरनाऊ तहसील जायल हाल पटवारी बिरलोका तहसील खींवसर जिला नागौर

निर्णय

दिनांकः– 20.02.2020

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, नागौर के आदेश दिनांक 1–2–2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम दिनांक 1–8–2014 को एक ज्ञापन अन्तर्गत नियम 16 सीसीए के मय आरोप पत्र जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या– 1

आप श्री श्रवण लाल पटवारी प.म. तरनाऊ, तहसील जायल में पदस्थापित अवधि में दौरान प्रभारी अधिकारी डाक मत पत्र प्रमोष्ठ (उपखण्ड अधिकारी) नागौर के आदेश क्रमांक लोसचु/2014/1603 दिनांक 7–3–2014 द्वारा आपको लोक सभा आम चुनाव 2014 के अन्तर्गत ई0डी0सी0 व पी0बी0 कार्य हेतु दिनांक 18–3–2014 को प्रभारी अधिकारी डाक मत पत्र (उपखण्ड अधिकारी) नागौर के समक्ष उपस्थित होने हेतु आदेशित किया था। लेकिन आप निर्धारित दिनांक 18–3–2014 के बाद भी बिना किसी सूचना के दिनांक 23–3–2014 तक उक्त कार्य हेतु अनुपस्थित रहे। जिसके बाद आप ईडीसी/पीबी प्रकोष्ठ नागौर में दिनांक 24–3–2014 से 26–3–2014 तक उपस्थित रहकर बाद में बिना किसी सूचना के स्वेच्छा से अनुपस्थित हो गये। इस प्रकार आप द्वारा अपने

उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना कर चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य से स्वेच्छा से अनुपस्थित रहे। आपका उक्त कृत्य नियम विरूद्ध है, जिसके लिये आपको आरोपित किया जाता है।

आरोप संख्या– 2

आप श्री श्रवण लाल पटवारी, प0म0 तरनाऊ, तहसील जायल में पदस्थापित अवधि के दौरान अपने हलके में लम्बे समय से लगातार अनुपस्थित रहने पर तहसील कार्यालय के पत्रांक सम/14/1182 दिनांक 6–5–2014 द्वारा आपका स्पष्टीकरण चाहा गया। परन्तु आपने लापरवाही बरतते हुए कर्तव्य के प्रति अनदेखी करते हुए उक्त नोटिस का जवाब तक प्रस्तुत नहीं किया। आपका उक्त कृत्य नियम विरूद्ध है, जिसके जिये आपको आरोपित किया जाता है।

आरोप संख्या– 3

आप श्री श्रवण लाल पटवारी, प0म0 तरनाऊ, तहसील जायल में पदस्थापित अवधि के दौरान आपकी अनुपस्थिति के बारे में भू–अभिलेख निरीक्षक तरनाऊ ने जांच रिपोर्ट तहसील कार्यालय जायल को दिनांक 21–5–2014 के द्वार प्रस्तुत कर बताया कि श्रवण लाल पटवारी अपने मुख्यालय पर नहीं रहकर बिना स्वीकृति रहवासी मकान नागौर में रहते है। जिससे राजकार्य एवं काश्तकारों को भारी असुविधा होती है। इस प्रकार आप द्वारा अपने हलके में निवास नहीं करने का उक्त कृत्य नियम विरूद्ध है, जिसके लिए आपको आरोपित किया जाता है।

आरोप संख्या– 4

आप श्री श्रवण लाल पटवारी, प0म0 तरनाऊ, तहसील जायल में पदस्थापित अवधि के दौरान ग्राम पंचायत तरनाऊ ने तहसील कार्यालय में शिकायत प्रस्तुत की कि पटवारी ग्राम पंचायत की निर्धारित मीटिंग में उपस्थित नहीं होते है एवं नागौर में अपने रहवासी मकान पर ही रहते है जिससे काश्तकारों को नागौर जाना पड़ता है। आप तहसील की पाक्षिक मासिक बैठकों में माह फरवरी 2014 से मई 2014 तक अनुपस्थित रहे है, जिससे राजकार्य प्रभावित हुआ है। अनुपस्थित रहने पर आपको तहसील कार्यालय से कई नोटिस दिये जाने के बावजूद भी अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया। जिसके लिए आपको आरोपित किया जाता है।

अपीलार्थी को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा निर्धारित अवधि में आरोपों को प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इनको व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देकर दिनांक 21–1–2019 नियत की गई। इस पेशी पर अपीलान्ट अनुपस्थित रहने पर उपखण्ड अधिकारी जायल को जांच अधिकारी एवं तहसीलदार जायल को पेरोकार नियुक्त कर जांच रिपोर्ट चाही गई। उपखण्उ अधिकारी जायल द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में आरोप संख्या 1 व 2 प्रमाणित पाये जाने पर अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत दो वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव (CUMULATIVE EFFECT) से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिला कलक्टर, नागौर के उक्त दण्डादेश को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपीलांट ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आरोप संख्या एक के संबंध में कथन किया कि मेरी ड्यूटी डाक मत पत्र लोक सभा आम चुनाव 2014 में उपखण्ड अधिकारी जायल के कार्यालय में लगायी गई थी तथा मुझे भू.अ.निरीक्षक जायल द्वारा दिनांक 23–3–2014 को बताया कि मेरी ड्यूटी उक्त कार्य हेतु लगायी गई है। मैनें उक्त आदेश की पालना में दिनांक 24–3–2014 को तुरन्त प्रभाव से कार्यालय में उपस्थिति देकर जो कार्य मुझे सौंपा गया था मैने दिनांक 26–3–2014 तक पूर्ण कर लिया गया था। मेरे जिम्मे कोई कार्य बकाया नहीं होने के कारण मैंने चुनाव प्रभारी महोदय से निवेदन किया कि मेरे पटवार मण्डल की राजस्व वसूली बकाया है एवं वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है अतः मुझे आप पटवार हलके में बकाया वसूली करने व वसूली राशि राजकोष में जमा कराने हेतु कार्यालय से मुक्त करावे। मैंने चुनाव प्रभारी के आदेशानुसार ही चुनाव कार्यालय (मुख्यालय) छोड़ने एवं पटवार हलका तरनाऊ में जाने की लिखित में अनुमति जरिये प्रार्थना पत्र चाही गई थी। प्रार्थना पत्र पर प्रभारी अधिकारी द्वारा मार्किंग भी की हुई है। प्रार्थी को दिनांक 23–3–2014 को भू.अ.निरीक्षक जायल द्वारा दूरभाष पर मौखिक आदेश के अलावा किसी प्रकार के आदेश प्राप्त नहीं हुए। मुझे कार्यालय द्वारा जारी नोटिस क्रमांक 1603 दिनांक 7–3–2014 आज तक अप्राप्त है। यदि मुझे इसकी सूचना मिली होती तो मैं आदेश की पालना में दिनांक 24–3–2014 की बजाय दिनांक 18–3–2014 को ही ड्यूटी पर आ जाता। मैंने किसी भी नोटिस की अवहेलना नहीं की है। मेरे द्वारा दिनांक 27–3–2014 व 28–3–2014 को की गई वसूली की रसीदे भी संलग्न की है तथा वसूली गई राशि राजकोष में जमा कराई गई है। इस कारण मैं दिनांक 27–3–2014 से 29–3–2014 तक चुनाव ड्यूटी से अनुपस्थित रहा। परन्तु मैंने इस तथाकथित

अनुपस्थिति की अनुमति दिनांक 26–3–2014 को ही प्रभारी अधिकारी से ले रखी थी। दिनांक 30–3–2014 से दिनांक 18–4–2014 तक मैं गंभीर रूप से बीमार होने की वजह से ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हो पाया था क्योंकि मैं वर्ष 2010 से टी.बी. रोग से ग्रसित हूं। मैंने 18 माह तक टी.बी. प्रतिरोधी दवाईयां ली थी परन्तु पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होने के कारण गला खराब हो गया जो आज तक ठीक नहीं हो पाया है। प्रार्थी बीमार होने के कारण राजकार्य से अनुपस्थित रहा था। प्रार्थी द्वारा मूल रोग आरोग्य प्रमाण पत्र तहसील कार्यालय में प्रस्तुत कर दिये गये थे।

अपीलांट द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आरोप संख्या 2 के संबंध में यह भी कथन किया कि तहसीलदार जायल के द्वारा जो नोटिस मुझे दिये गये थे उन सभी का जवाब मेरे द्वारा समय पर दे दिया गया था। नोटिस क्रमांक 1182 दिनांक 6–5–2014 की सूचना मुझे प्राप्त नहीं थी एवं न ही उक्त नोटिस मुझे तामील हुआ था। उक्त नोटिस की प्रति न तो विभागीय पैरोकार और न ही जांच अधिकारी ने अपनी जांच में प्रस्तुत की। उक्त नोटिस कहां है इसकी कोई सूचना और प्रति न तो उपलब्ध है और न ही इस जांच प्रतिवेदन में लगी हुई है। उक्त नोटिस द्वेषतापूर्वक तहसीलदार जायल द्वारा अपने पास रखा हुआ था और उच्चाधिकारियों को गुमराह करके मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया गया है। तहसीलदार जायल ने हमेशा मेरे प्रति द्वेषता की भावना ही रखी है। मुझे टीबी की बीमारी होने के कारण मैं कई बार भेदभाव का शिकार हुआ था। जांच अधिकारी एवं विभागीय पैरोकार ने एकराय होकर गलत जांच प्रतिवेदन जिला कलक्टर महोदय नागौर को लिखित साक्ष्य को दरकिनार करते हुए प्रस्तुत कर दिया जिसके आधार पर जिला कलक्टर नागौर द्वारा दो वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव (CUMULATIVE EFFECT) से रोकने के दण्ड से मुझे दण्डित कर दिया गया।

उन्होंने यह भी कथन किया कि जांच अधिकारी उपखण्ड अधिकारी जायल द्वारा आरोप संख्या 3 व 4 प्रार्थी पर प्रमाणित नहीं होने से इन आरोपों के सम्बन्ध में अपीलार्थी को निर्दोष साबित किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 01–02–2019 को अपास्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पर जिला कलक्टर, नागौर से टिप्पणी प्राप्त की गई उन्होंने अपने पत्र क्रमांक प.9 () भू.अ./विजा/2014/479 दिनांक 16–1–2020 से अवगत कराया है कि कार्मिक द्वारा किया गया कथन अनुचित है क्योंकि कार्मिक ने मुख्यालय छोड़ने बाबत ऐसा कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया था। चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित हो जाना कार्मिक

की गंभीर लापरवाही रही है। जांच अधिकारी ने अपने जांच प्रतिवेदन में बताया है कि कार्मिक को उपखण्ड अधिकारी डाक मत पत्र के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु अपचारी कार्मिक निर्धारित दिनांक 18–3–2014 को संबंधित अधिकारी के समक्ष न तो अपनी उपस्थिति प्रदान की एवं न ही अवकाश हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। कार्मिक अपनी स्वेच्छा से दिनांक 18–3–2014 से 23–3–2014 तक एवं 24–3–2014 से 26–3–2014 के बाद पुनः चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य से अनुपस्थित रहा। अतः कार्मिक पर आरोप संख्या 1 पूर्णतया सिद्ध पाया गया है। कार्मिक पर आरोप साबित पाये जाने पर ही कार्मिक को दण्डित किया गया है।

अपील में आरोप संख्या 2 के संबंध में कार्मिक का जवाब बेबुनियाद एवं निराधार है। इस संबंध में कार्मिक का कथन सही नहीं होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है। क्योंकि जांच अधिकारी ने अपने जांच प्रतिवेदन में अवगत कराया है कि कार्मिक द्वारा जानबूझकर तहसीलदार जायल द्वारा जारी नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। अतः कार्मिक पर आरोप संख्या 2 पूर्णतया सिद्ध है। अपचारी कार्मिक को व्यक्तिगत सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए अपचारी कार्मिक द्वारा आरोपों का संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति अपचारी कर्मचारी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के तहत विधिसम्मत कार्यवाही की जाकर दण्डादेश दिनांक 01–02–2019 पारित किया गया था। अतः अपचारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंनें अपीलार्थी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा प्रेषित टिप्पणी, नोटशीट व जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे स्पष्ट है कि जिला कलक्टर, नागौर द्वारा अपीलार्थी पर चार आरोपों से आरोपित किया गया। उक्त आरोपों की जांच करने हेतु जिला कलक्टर नागौर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, जायल को जांच अधिकारी एवं तहसीलदार जायल को विभागीय पैरोकार नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी ने अपने जांच प्रतिवेदन दिनांक 22.10.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन जिला कलक्टर नागौर को प्रेषित किया गया। जिसमें जांच अधिकारी ने अपीलार्थी पर आयत चार आरोपों में से आरोप संख्या 3 व 4 अपीलार्थी पर प्रमाणित नहीं माने तथा आरोप संख्या 1 व 2 पूर्णतया सिद्ध माने है जिसके आधार पर जिला कलक्टर नागौर द्वारा अपीलार्थी की दो वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव (CUMULATIVE EFFECT) से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया।

जैसा कि प्रथमतः अपचारी कर्मचारी ने आरोप संख्या 1 के संबंध में कथन किया कि अपीलार्थी को लोक सभा आम चुनाव 2014 के दौरान डाक मतपत्र में कार्य करने हेतु लगाया गया था। अपीलार्थी ने उक्त संबंध में कथन किया कि उसके द्वारा उसको दिया गया कार्य दिनांक 26–3–2014 तक पूर्ण कर लिया था तथा कोई कार्य बकाया नहीं होने के कारण वित्तीय वर्ष समाप्त होने के कारण पटवार हलके की बकाया वसूली करने तथा वसूल शुदा राशि राजकोष में जमा कराने हेतु कार्यमुक्त करने हेतु प्रभारी अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर मार्किंग भी की गई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि यदि प्रभारी अधिकारी को अपीलार्थी को वसूली कार्य हेतु पटवार हलके में नहीं जाने देना था तो तत्समय ही प्रार्थना पत्र पर मार्क करने से पूर्व ही वसूली कार्य करने हेतु जाने से मना करना चाहिए था। प्रार्थना पत्र पर भी प्रभारी अधिकारी द्वारा ऐसी कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई। अपीलार्थी द्वारा प्रभारी अधिकारी को मुख्यालय छोड़ने के प्रार्थना पत्र पर मार्किंग के पश्चात ही मुख्यालय छोड़ा गया है। अपीलार्थी द्वारा पटवार हलके में दिनांक 27 व 28–3–2014 को वसूली कर राशि राजकोष में जमा कराई है जो पत्रावली में उपलब्ध रसीदो से स्पष्ट है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य की ड्यूटी हेतु सम्बन्धित कार्मिक को लिखित में सूचना तामील करवाई जाती है जो प्रस्तुत प्रकरण में कहीं भी स्पष्ट नहीं होता है कि अपीलार्थी पटवारी को चुनाव कार्य संबंधी ड्यूटी की तामील कभी करवाई गई हो। कार्मिक को बिना तामील कराये केवल दूरभाष पर अवगत कराया जिसकी पालना में कार्मिक उपस्थित हो गया। अतः ऐसी स्थिति में इस आरोप के बचाव के सम्बन्ध में अपीलार्थी पटवारी के कथन को किसी भी स्थिति में संदेहास्पद नहीं कहा जा सकता।

जांच अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में अपीलार्थी के अनुपस्थित रहने एवं बैठकों में भाग नहीं लेने का ही उल्लेख किया है। अपीलार्थी द्वारा उसकी डाकमत पत्र में जो ड्यूटी लगायी गयी थी वह कार्य अपीलार्थी पटवारी द्वारा पूर्ण किया गया है या नहीं ? इसका कहीं उल्लेख नहीं है जबकि अपीलार्थी द्वारा उसको देय कार्य दिनांक 26–3–2014 को ही पूर्ण करने के पश्चात मुख्यालय छोड़ा गया है और इस सम्बन्ध में अपीलार्थी पटवारी द्वारा चुनाव प्रभारी के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र की छायाप्रति भी साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत की गई है।

आरोप संख्या 2 के संबंध में जहां तक अपीलार्थी के अवकाश पर रहने का प्रश्न है तो अपीलार्थी टीबी रोग से ग्रसित होने के कारण बीमार होने से अवकाश पर रहा था जिसका उसके द्वारा उक्त अवधि का रोग व आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट है कि अपचारी कार्मिक के द्वारा जानबूझकर राजकार्य में कोई लापरवाही नहीं की

गई है और न ही आदेशों की अवहेलना की गई है जो कि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य से स्वयं सिद्ध है।

अतएव उक्त प्रकरण में अपचारी कार्मिक को जारी आरोप पत्रों एवं अपचारी कार्मिक द्वारा दिये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा अपचारी कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में दिये गये तर्को एवं जवाब से सहमति व्यक्त करते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अपचारी कार्मिक पर लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं होते है। अतः अपचारी कार्मिक श्री श्रवण लाल तत्कालीन पटवारी तरनाऊ हाल पटवारी बिरलोका तहसील खींवसर जिला नागौर के विरूद्ध जिला कलक्टर, नागौर द्वारा राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम 16 के अन्तर्गत दो वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव (CUMULATIVE EFFECT) से रोकने के दण्ड से पारित दण्डादेश क्रमांक प.9( )भू.अ./वि.जा./2015/948 दिनांक 1–2–2019 अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी श्री श्रवण लाल तत्कालीन पटवारी तरनाऊ तहसील जायल हाल पटवारी बिरलोका तहसील खींवसर जिला नागौर की अपील स्वीकार की जाती है तथा जिला कलक्टर, नागौर द्वारा दो वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव (CUMULATIVE EFFECT) से रोकने के दण्ड बाबत पारित दण्डादेश क्रमांक प.9( )भू.अ./वि.जा./2015/948 दिनांक 1–2–2019 विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त किया जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को दी जावे।

(लक्ष्मी नारायण मीणा),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Narain Meena
Date: 2020.05.28 17:30:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: